Emerging Trends in Education [Vol. 4 - No. 1 . pp 94-102]

मानवाधिकार और शिक्षा

मालती
अपर्णा

जैसे–जैसे मानव सभ्यता विकास के नये–नये सोपान तय करती गयी है, मानवाधिकार की अवधारणा का विकास होता गया। मानव अधिकार की अवधारणा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों में छिपी हुई है और प्राकृतिक न्याय मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा है। इस धारणा का आधार यही है कि सभी मनुष्य समान हैं और उनके कुछ अधिकार हैं। मानव अधिकार का महत्व प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ा है। प्रारम्भ में, मानवाधिकारों को अति लघुरुप में परिभाषित किया गया था। व्यक्ति के मर्यादित जीवन का एक पर्यावरण सृजन करने के लिए राज्य के ऊपर न केवल नकारात्मक दायित्वों के रुप में बल्कि राज्य के सकारात्मक दायित्वों के रुप में मानवाधिकारों की जानकारी और अनुभूति आवश्यक थी। इस प्रकार मानवाधिकारों ने धीरे–धीरे और व्यापक अर्थ का अर्जन कर लिया और नये–नये क्षेत्र इसके दायरे में आते गये। मौलिक स्वतंत्रता की धारणा की मूल भावना पहले व्यक्ति के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तक सीमित थी परन्तु मानवाधिकारों के विस्तृत स्वरुप के कारण यह महसूस किया गया कि आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा को उनके साथ जोड़े बिना नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि इसके अन्तर्गत आत्म–निर्णय का अधिकार, विकास का अधिकार और उपेक्षित वर्गों के संरक्षण का अधिकार भी शामिल है, जो व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है। इस तरह के माानवाधिकार आन्दोलन ने जो मंजिले तय की हैं वह बड़ी ऐतिहासिक और भव्य हैं। अधिकतर देशों के संविधानों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। भारत के संविधान में मानवाधिकारों सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा 10 दिसम्बर 1948 में बताये गये अधिकतर अधिकारों को संविधान के भाग–दो में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रुप में शामिल किया गया है।

मानवधिकार एक व्यापक संकल्पना है। यह विधि की सभी परिस्थितियों में लागू होता है चाहे शान्ति हो या युद्ध अथवा कतिपय ऐसी अनिश्चित स्थितियों में भी जिसे हम न शान्ति की संज्ञा दे सकते हैं और न युद्ध की। मानवाधिकार या मूल स्वतंत्रता में जिसके प्रति आदर सम्वर्धन और संरक्षण का आन्दोलन विश्वभर में चल पड़ा है, उससे कोई राज्य अछूता नहीं है। इसका महत्व उत्तरोतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों में ऐसी जागरुकता बढ़ती जा रही है कि उन्हें एक ऐसी जीवन पद्धति चाहिए जो मानव गरिमा के अनुरुप हो।

* प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद, डिग्री कालेज, इलाहाबाद।
** शोधार्थी, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से सम्बन्धित अधिकार से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 उपबन्ध करता है कि "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मानव अधिकार के कुछ निम्नांकित आधारभूत सिद्धान्त भी हैं–

- **समानता :** मानव अधिकार का आधार है कि सभी मानव स्वतंत्र हैं, सभी के अधिकार समान हैं और सबको समान सम्मान मिलना चाहिए।
- **सर्वव्यापकता :** कुछ नैतिक आदर्श विश्व के हिस्सों में होते हैं और सरकारों तथा समुदाय को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता या वो सभी व्यक्तियों को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं।
- **अभाज्यता :** मनव अधिकारों को अविभाज्य रुप से लागू करना चाहिए जिसमें नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामूहिक अधिकार शामिल हैं।
- **परस्पर निर्भरता :**

1. मानव अधिकार की समस्या जीवन के हर पहलू में उभर सकती है – घर, विद्यालय, कार्य स्थल, बाजार आदि।
2. मानव अधिकार का हनन भी आपस में जुड़ा है : एक अधिकार का हनन दूसरे अधिकार के हनन का कारण बनता है।
3. इसी प्रकार एक मानव अधिकार को बढ़ावा देने पर दूसरे मानव अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है।

- **जिम्मेदारी :** चाहे सरकार की जिम्मेदारी हो या व्यक्तिगत या अन्य घटकों की (गैर सरकारी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, कम्पनियां आदि) सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

मानवाधिकारों के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। जिसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही मौलिक अधिकार के अन्तर्गत रखा गया है और अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30 (1 व 2) के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित कर सकते हैं व प्रशासित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देते समय इन संस्थाओं से भेदभाव नहीं करेंगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 में इस बात का उल्लेख किया गया कि राज्य सरकारों द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या

भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कमजोर वर्गो की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति को विशेष रुप से प्रोत्साहित करेगा तथा उनको सामाजिक अन्याय से बचायेगा। अनुच्छेद 28 (1,2 और 3) के अन्तर्गत इस मत पर भी बल दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान की स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन हुई हो, जिसमें कुछ धार्मिक क्रियाएं आवश्यक हैं तो उस संस्थान में धार्मिक क्रियाओं की शिक्षा दी जा सकती है। इन सिद्धान्तों के निर्माण और अनुच्छेदों के अन्तर्गत प्रदान किये गये अधिकार के बावजूद क्या इनका अनुपालन हो रहा है?क्योंकि शिक्षा का कार्य मानव व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करना है जिसके माध्यम से अवबोध, सहनशीलता और बन्धुत्व को बढ़ावा मिल सके। मानव विकास का तात्पर्य ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है और इसकी प्रक्रिया हमारे शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध हो जाती है क्योंकि ज्ञान अर्जन का केन्द्र शैक्षिक संस्थाओं को माना जाता है। शिक्षा ही मानव को स्वतंत्र बनाती है, पूर्वाग्रहों, पूर्व निर्मित विचारों से मुक्ति दिलाती है जिससे हम आगे की ओर अग्रसर हो सकें। शायद यही वजह है भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। इसका एक और कारण यह भी था कि संविधान के निर्माता जनतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते थे।

शिक्षा मानावाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्योंकि इसके बिना हम मानवी लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं के सर्वव्यापी होने को नहीं समझ सकते। मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में मानवाधिकार शिक्षा पर जोर दिया गया है। इन दस्तावेजों में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार मानवाधिकार शिक्षा के द्वारा लोगों को जानकारी और कौशल, उपलब्ध करा के और दृष्टिकोण में बदलाव लाकर मानवाधिकारों की सार्वभौम संस्कृति के निर्माण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य होना चाहिए :

- मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्राओं के प्रति आदर बढ़ाना।
- मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और इसके प्रति गौरव की भावना का विकास।
- जाति, राष्ट्रीय, धार्मिक और भाषायी समूहों में आपसी समझ, सहिष्णुता, स्त्री पुरुष समानता और मित्रता उत्पन्न करना।
- मुक्त समाज में किसी भी व्यक्ति को कारगर तरीके से भागीदार बनने में सक्षम बनाना।

मानवाधिकारों के सम्मान को साकार करने के लिए एक ऐसी संस्कृति के विकास की आवश्यकता पड़ती है जो प्रत्येक मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। ऐसी संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने और समुदाय के विकास और उन्नति के लिए समुचित व एक समान अवसर उपलब्ध कराने की

आवश्यकता का सम्मान करती है।

मानवाधिकार को संस्कृति के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित कई स्तरों पर कार्य करना होगा :

- आम लोगों में अधिकारों और कर्त्तव्यों के साथ–साथ दूसरों के अधिकारों का आदर करने के बारे में जागरुकता पैदा करना।
- समाज के गरीब और संवेदनशील तबकों में जागरुकता पैदा करना और उनमें आत्म–विश्वास पैदा करना ताकि वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए खड़े हो सकें।
- लोगों को अपने कुछ पूर्वाग्रहों को छोड़ने और दूसरों की गरिमा के खिलाफ भावनाओं में बदलाव लाने का प्रयास करना।
- भिन्न प्रकार के ज्ञान का सृजन करना, ढॉचे, प्रविधि और तौर तरीकों में नवीनता या सुधार लाना और नये कौशल व क्षमताओं का विकास ताकि नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया मानवाधिकार संस्कृति की अपेक्षाओं के अनुरुप बन सके।
- वर्तमान तरीकों को और अधिक उत्तरदायी बनाना ताकि राज्य, उसकी एजेंसियों और कर्मचारियों को आसान, कारगर और उद्देश्यपूर्ण तरीकों से मानवाधिकार के उल्लघंन के मामलों के प्रति सजगता की भावना पैदा की जा सके।

यहाँ इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि शिक्षा, जागरुकता, सूचना और ज्ञान के एक औजार के रुप में सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दुर्भाग्यवश भारत में शिक्षा प्रणाली विशेष रुप से उच्च शिक्षा प्रणाली ने पिछले कुछ वर्षों को छोड़कर देश में मानवाधिकार संस्कृति के विकास के प्रयास में सहभागी बनने की दिशा में कदम उठाने का कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।

शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के तीन पहलू हैं :

- ऐसा ज्ञान जिससे मानवाधिकारों और इन अधिकारों की रक्षा के लिए उपलब्ध प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त हो।
- ऐसे मूल्य, मान्यताएँ और दृष्टिकोण जिनके माध्यम से प्रक्रियाओं के विकास के जरिए मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा मिले।
- ऐसे कार्य जिनसे लोगों को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन मिले और मानवाधिकारों का दुरुपयोग रुके।

मानव अधिकार के संरक्षण और संवर्धन को और प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है इसका बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार हो। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसका सहारा लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। भारत जैसे देश मे जिसका औपनिवेशिक

और सामंती अतीत का इतिहास रहा है जहाँ अभी भी भूखमरी, अज्ञानता और अशिक्षा का चारों ओर बोलबाला है, वैसे में मानवधिकार शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

मानवाधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1994 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार शिक्षा दशक (1995–2004) की घोषणा की और सब देशों की सरकारों से आग्रह भी किया कि वे कार्य योजना को लागू करने में सहयोग करें। इसके साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों का आह्वान भी किया गया कि वे मानवाधिकार शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दें। आने वाली शताब्दियों में मानव विकास उसकी समृद्धि और विश्व शांति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि विभिन्न समुदायों में इन अधिकारों को किस हद तक हासिल किया जा सकता है। इसके लिए मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों ओर अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संचार माध्यमों, गोष्ठियों तथा अन्य उपलब्ध साधनों के जरिये सूचना/जानकारी उपलब्ध कराना अत्यन्त आवश्यक है और यह कार्य शिक्षा के माध्यम से अत्यन्त प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

- अवस्थी एस0 के0 व कटारिया आर वी0 (2001), *लॉ रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स,* ओरिएन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
- अवस्थी ए0के0 (2001), *मानवाधिकार विधि,* ओरिएन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
- चन्द्र उमेश (1999), *ह्यूमन राइट्ट,* इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद।
- रोजगार समाचार (2002), *मानवाधिकार शिक्षा।*